


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल वालियर कैम्प रीवा, जिला रीवा ५०९०



Rs. 40/-

766  
21-11-12

R. 4304-II/12 अती कर्तमान अंसारी तनयमो० मकी अंसारी उम्र 17 वर्ष, पेशा विद्यार्थी  
निवासी मोहल्ला तरहटी, चिकान टोला रीवा, हाल मुकाम पोखरी  
रोड अमान, जिला - रीवा ५०९० ॥ --- आवेदक

अधिवक्ता श्रीसूर्यनाथ  
पाण्डेय द्वारा उल्लेख  
रीवा दि. 21-11-12

बनाम

मुसम्मतात नज्जून निशा पत्नी मुवारक अंसारी उम्र 62 वर्ष, पत्नी हा फिज  
अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला तरहटी चिकान टोला रीवा तहसील  
हुजूर जिला रीवा ५०९० ॥ ----- अनावेदक

M  
21-11-12

निगरानी बिरस आदेश जिलाध्यक्ष महोदय रीवा  
के प्रकरण क्रमांक 108/अ६/नि०/2009-2010

10-12-12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०९० भू-राजस्व  
संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1. आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक  
70 अ०६/2009-2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10/6/2010  
के विरस निगरानी प्रस्तुत किया था। आवेदक का यह कहना था कि  
नामान्तरण आदेश दिनांक 6/3/2001 को श्रीमान् तहसीलदार साहब  
तहसील हुजूर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 201/अ०६/2000-2001 के  
विरस 9 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर द्वारा बेरुम्बाद


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

(21)

मामला क्र. नि.4304-दो/12

जिला-रीवा

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री अतिकुरहमान द्वारा दिनांक 21.10.16 को धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया की वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है।</p> <p>2. आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। अतः प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M

L